रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. /D.N.-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 1983/भाद्र 15, 1905
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 6, 1983/BHADRA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1983

आ.अ. 88(अ).—भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा अपनी तारीख 31 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना सं. 508/मणि./73 को अतिष्ठित करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 13क(क) की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से, उस राज्य के प्रत्येक जिले के उपायुक्त को उसके अपने जिले के लिए जिला निर्वाचन आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं. 508/मणि./83]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1983

O.N. 88(E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission in supersession of its notification No. 508|MR|73, dated 31st October, 1973, hereby designates, in consultation with the State Government, the Deputy Commissioner of each district in the State of Manipur to be the District Election Officer for that district.

[No. 508|MR|83]

By order,

K. GANESAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983